# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्याः 13/2022 GCMS No.—2022/162

आम जनता धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ़, हाल आंधी, जिला जयपुर, राजस्थान जरिये

1. हरजीलाल पुत्र लालदास जाति स्वामी, उम्र 75 वर्ष,
2. रामकिशन पुत्र गोपाल खारवाल, उम्र 50

समस्त निवासीयान– ग्राम धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर, राजस्थान।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र स्व. कजोड
2. गोलू उर्फ गुरूदयाल पुत्र स्व. कजोड,
3. लाला उर्फ शिवराज पुत्र स्व. कजोड,
4. लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. कजोड,

समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम हुरेला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, हाल आंधी, जिला जयपुर राजस्थान।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 14(4) भू आवंटन अधिनियम विरूद्ध आवंटन दिनांक 21.08.1978 आवंटन सलाहकार समिति केम्प, धामस्या, तहसील जमवारामगढ, हाल आंधी जिला जयपुर।

---

उपस्थितः–

1. श्री रामकिशोर गुर्जर एवं श्याम सुन्दर खण्डेलवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।
3. श्री प्रहलाद रावत अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से।

## निर्णय दिनांक 28.03.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति (उप जिलाधीश आमेर) के आदेश दिनांक 21.08.1978 जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पूर्वज बाल्या पुत्र चन्दा जाति बलाई, निवासी ग्राम हुरैला, तहसील जमवारामगढ को ग्राम धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ हाल तहसील आंधी स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1/8 में से रकबा 8 बीघा का आवंटन किया से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.10.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। पत्रावली दर्ज कर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा आवंटित आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये । अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 4 की ओर से श्री सुरेश शर्मा अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या–5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रभारी अधिकारी रिकॉर्ड शाखा कलेक्ट्रेट जयपुर से मूल आवंटन पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। तहसीलदार आंधी से मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 को प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गयी। पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगणों ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.1978 द्वारा अप्रार्थी संख्या एक लगायत चार के पूर्वज स्व. बाल्या को ग्राम धर्मपुरा तहसील जमवारामगढ स्थित साबिक खसरा नम्बर 1/8 में से रकबा 8 बीघा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 5 है का आवंटन नियम विरूद्व एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उपरोक्त भूमि समस्त ग्रामवासियों ग्राम धर्मपुरा के पशुधन व गौवंश चराने के काम में अर्से कदीम से आ रही है तथा राज्य सरकार ने समय–समय पर गांववालो ने अपने स्तर पर दो छोटे–छोटे तालाब व एक बांध गौवंश को व अन्य पशुओ को पानी पीने के लिए बनवा रखी है इसलिए समस्त ग्रामवासियों का हित उपरोक्त भूमि में निहित है। उक्त भूमि में तालाब व पानी की टंकी का निर्माण किया गया है जिससे ग्राम के मवेशी पानी पीते आ रहे है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि होने के कारण आवंटन आदेश दिनांक 21.08.1978 निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आवंटन आदेश की अनुपालना में किसी प्रकार की खातेदारी का नामान्तकरण आवंटी के नाम से नहीं खुला है। आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में नही आता है इसलिए भी आवंटन निरस्त योग्य है। कुछ समय पूर्व प्रार्थीगण व गांववालो को अप्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर से पशुओ का चराने से मना किया तथा धमकियां दी की उक्त भूमि को मेरे के पिता के नाम आवंटन हो रखा है जिसके पश्चात प्रार्थीगण ने जिला कार्यालय से आवंटन पत्रावली प्राप्त कर अविलम्ब माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र 14(4) पेश की है। तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि के संबंध में कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गयी। प्रार्थना पत्र में धारा 5 मियाद अधि0 लागू नहीं होता है एवं प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. भूमि लागू नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 का उक्त आंवटित भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा है। आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन दिनांक 21.08.1978 को आवंटन सलाहकार समिति का पूरा कोरम नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। खसरा गिरदावरी संवत् 2044 से 2048 व संवत् 2064 से 2067 व संवत् 2072 से 2075 अनुसार भूमि पडत व बंजर अंकित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगणो के पितामह बाल्या पुत्र चन्दा जाति बलाई सा0 हुरैला के हक में दिनांक 21.08.1978 को ग्राम धर्मपुरा तहसील जवारामगढ हाल तहसील आंधी स्थित भूमि साबिक खसरा नंबर 1/8 रकबा 08 बीघा का आवंटन निरस्त फरमाने की कृपा करें। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2015(1)RRT 364, 2013(1) RRT 192 Board of revenue Raj. पेश किये।

दौराने बहस अप्रार्थी संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दलील दी कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विवादित भूमि का अप्रार्थीगणों के पितामह स्व. बाल्या के हक में किया गया आवंटन नियमों की पालना करते हुए ही किया गया, इसमें कोई गलती

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा नहीं की गई है। अप्राथी संख्या 1 का विवादित भूमि पर कब्जा है जो तहसीलदार आंधी की रिपोर्ट से स्पष्ट है। आवंटित भूमि पर अप्रार्थीगण ही कब्जे काश्त करते चले आ रहे है। राजस्व नियमों से अनभिज्ञ होने के कारण अप्रार्थी के पूर्वज विवादित भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं करा सके एवं आवंटित भूमि का खातेदारी नामान्तकरण नहीं खुलवा सका। वर्तमान में विरासत का नामान्तकरण कार्यालय तहसीलदार आंधी में प्रकियाधीन है। आवंटन सलाहकार समिति ने आंवटी को सम्पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाकर आवंटन किया तथा आवंटन के समय ही आंवटित कृषि भूमि का कब्जा आंवटी को सुपुर्द कर दिया एवं सुपुर्दगी में प्रार्थी हरजीलाल के भी हस्ताक्षर है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद बाहर एवं अप्रार्थीगणो को हैरान परेशान की नियत से पेश किया है। प्रार्थीगण द्वारा धारा 96 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया गया। तहसीलदार आंधी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में गलत तथ्य पेश किये है।' अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त RRT 383 High court, 2011(2) RRT 1205 Raj. High court, 2011(2)RRT 1144 Board of revenue Raj. Ajmer आदि पेश किये गये।

विद्धान अधिवक्ता पैरोकार सरकार की दलील है कि प्रकरण में आवंटी को नियमानुसार आवंटन किया गया है। तहसीलदार आंधी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौके पर कोई टंकी व तालाब नहीं बने हुए है। प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज किया जावे।

विद्वान उभय पक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्धद दस्तावेजात, जिला रिकॉर्ड अभिलेखागार से प्राप्त आवंटन पत्रावली एवं तहसीलदार आंधी द्वारा प्रेषित मौका रिमोर्ट तथा वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन किया तथा तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में आवंटी स्व. बाल्या पुत्र चन्दा जाति बलाई निवासी ग्राम हुरैला को ग्राम धर्मपुरा, हाल तहसील आंधी के आराजी खसरा नंबर 1 में 8 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसके हाल खसरा नंबर 5 रकबा 2.02 हैक्टेयर है। प्रश्नगत भूमि के संबंध में तहसीलदार आंधी से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 अनुसार खसरा नंबर 5 रकबा 2.02 हैक्टेयर में वर्तमान में मौके पर कोई भी तालाब व पानी की टंकी निर्मित नहीं है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक खसरा नंबर 5 रकबा 2.02 है0 किस्म बारानी–3 कजोड पुत्र बाल्या जाति बलाई सा. हुरैला गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि फौत हो चुका है। मृतक कजोड पुत्र बाल्या के जायंदा वारिसान के नाम विरासत का नामान्तकरण प्रकियाधीन है। वादग्रस्त भूमि के कुछ भाग में फसल की हुई है तथा शेष भाग मौके पर पडत है। उक्त रिपोर्ट से जाहिर है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 14(4) में अंकित तथ्य तालाब होना, पशु चारण आदि वर्तमान मौका रिपोर्ट अनुसार उचित प्रतीत नहीं होते है। मौका रिपार्ट में फसल काश्त होना तहसीलदार आंधी द्वारा जाहिर किया है जिससे

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य कि आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में आवंटी को तत्समय आवंटित भूमि की किस्म सिवाय चक थी एवं वर्तमान जमाबन्दी अनुसार भी बारानी अंकित है तथा आवंटी स्व. बाल्या के वारिसान वादग्रस्त भूमि के बतौर गैर खातेदार दर्ज है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्रकरण में आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमि नहीं है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी स्व. बाल्या के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए ग्राम धर्मपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 1 में 8 बीघा का आवंटन स्व. बाल्या के हक में किया। आवंटन पत्रावली पर सरपंच ग्राम पंचायत धर्मपुरा के बतौर साक्षी हस्ताक्षर है तथा आवंटन सुपुर्दनामा पर प्रार्थी संख्या 1 हरजी के भी हस्ताक्षर है तथा उपजिलाधीश आमेर द्वारा स्व. बाल्या को कब्जा दिये जाने संबंधी दस्तावेज भी उपलब्ध है। 2011(1) **RRT 383** राजस्थान हाई कोर्ट में अभिलिखित है कि आवंटन के 30 वर्ष बाद आवेदन पेश किया आवेदन खारिज किया गया वर्ष 1968 में भूमि आवंटित की गयी निचले न्यायालयों ने इतने लम्बे विलम्ब के बाद शक्तियों का उपयोग करने से इन्कार किया, निर्णीत, आदेशों में त्रुटि नहीं है। **2011(2) RRT** 1205 राज. उच्च न्यायालय में अभिलिखित है कि आवंटन के 40 वर्ष बाद आवेदन पेश किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु मामला नहीं पाया और आवेदन खारिज किया गया–निर्णीत, आदेश में अधिकारिता की त्रुटि नहीं है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उज्र/आक्षेप उचित प्रतीत नहीं होते है। आवंटी के वारिसान के नाम विरासत का गैर खातेदारी दर्ज होने एवं तहसीलदार आंधी की रिपोर्ट के आधार पर तथा उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) अर्न्तगत कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार आंधी को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

( दिनेश कुमार शर्मा )
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर